निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 139) पटना, सोमवार, 19 फरवरी 2024

सं० 27 / लोका0–02–05 / 2021–42 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 जनवरी 2024

श्री राजेश कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–840 / 11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–1167 दिनांक–31.12.2021 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। श्री सिंह पर आरोप है कि श्री सदानन्द सिंह, जनवितरण प्रणाली बिक्रेता, ग्राम+पंचायत–ऐना, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा पर राशन कार्डधारियों को अनाज एवं किरासन तेल नहीं मिलने एवं निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने से संबंधित शिकायत पर जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन में श्री सदानंद सिंह पर लगाये गए अनियमितता के आरोप को सही पाया गया एवं उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा के बावजूद श्री राजेश कुमार सिंह, तत्का0 अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा श्री सदानंद सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत के उपरान्त श्री सदानंद सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने के बावजूद दो वर्ष के बाद दिनांक–02.09.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा श्री सदानंद सिंह की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।

जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदुपरान्त विभागीय पत्रांक–11803 दिनांक–14.07.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक–02.08.2022) के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15513 दिनांक 01.09.2022 द्वारा श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 (1) के संगत प्रावधानों के तहत **(1) निन्दन (आरोप वर्ष 2014–15)** की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा एक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–601 दिनांक 15.02.2007 के अनुसार राशन वितरण स्थल को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सिंह की अनियमितता संबंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विक्रेता से कारण पृच्छ की गयी। समीक्षोपरांत दिनांक 02.09.2016 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सिंह की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी। फलस्वरूप श्री

सदानंद सिंह को राशन एवं किरासन तेल के वितरण के कमीशन के रूप में राशि का भुगतान किया गया जिसे राजस्व की क्षति नहीं माना जा सकता है। समीक्षा से विदित है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा श्री सिंह के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के निमित जांच दल का गठन किया गया। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के संयुक्त जांच दल जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि श्री सदानंद सिंह को नीलाम पत्र वाद से मुक्त किया जा सकता है।

श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित दंड एवं उक्त दंड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री राजेश कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–840/11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के विरूद्ध पारित दंडादेश को निरस्त करते हुए श्री सिंह को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,/–
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 139-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in